कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / सीधी भर्ती / स्था. / सत्रह / 2022 / 6957 रायपुर, दिनांक 30 / 03 / 2022

/ / विज्ञापन / /

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसढ़ शासन, अलिपिकीय पैरा–मेडिकल एवं नर्सिंग (सचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम, 2013 एवं इस नियम की अनुसूचीयों में संशोधन संबंधी अधिसूचना क्रमांक एफ 1–83 / 2010 / नौ / 17–1, दिनांक 11 जून 2020 में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार जिला स्तर के तृतीय श्रेणी संवर्ग में जिलास्तरीय निम्नांकित सीधी भर्ती कोटे में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से शासकीय रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट से दिनांक 04.04.2022 से दिनांक 25.04.2022 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–रायपुर में कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

जिलास्तरीय पद व आरक्षणवार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छ.ग. के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छ.ग. भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से छ.ग. के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मैट्रिक्स
		अना.	अ.जा.	ज.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	ज.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	ज.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ग्रा.स्वा.संयो. पुरुष	11	3	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	17	वेतन बैंड 5200–20200 मैट्रिक्स लेवल 5
	ड्रेसर ग्रेड--01	23	6	1	5	6	1	0	1	2	0	0	0	03	35	वेतन बैंड 5200–20200 मैट्रिक्स लेवल 4
	ड्रेसर ग्रेड–02	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	वेतन बैंड 5200–20200 मैट्रिक्स लेवल 3

उक्त पदो पर महिला / भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग जन हेतु शासन निर्देशानुसार आरक्षण का लाभ प्रदान किया जावेगा।

1. विज्ञापित पदों की पूर्ति हेतु सेवा भर्ती नियमानुसार सेवा संवर्गवार विहित शैक्षणिक अर्हताए योग्यता निम्नानुसार हैः–

क्र.	पदनाम	विहित शैक्षणिक अर्हताएं
1	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष)	(1) जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये; (2) प्रशिक्षण केन्द्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 01 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण, जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो, उत्तीर्ण होना चाहिये; एवं (3) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीकृत होना चाहिये।
2	ड्रेसर ग्रेड–01	(1) 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिये; (2) आर्थोपैडिक–कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये; और (3) छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए।
3	ड्रेसर ग्रेड–02	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 10 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

*आवेदन तीथि को वांछनीय जीवितपंजीयन होना आवश्यक है ।

2 2.1 आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2.2 आवेदक का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

2.2 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक ''पुरूष''पदो पर केवल पुरूष ही आवेदन करने हेतु पात्र होगें।

3. **न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा**–आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु विशेष प्रवर्ग जैसे – छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) महिला, निःशक्तजन आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन के नियम अनुसार छूट मान्य होगी ।

3.1 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशो के आधार पर अभ्यार्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष ही मान्य होगी।

<u>सामान्य नियम एवं शर्ते तथा आवश्यक निर्देश</u> :–

1. छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम–2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) लागू होगें।

2. अभ्यर्थियों द्वारा पदों के लिये भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक/तकनीकीय अर्हताऐं आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पूर्णकर लेना अनिवार्य होगा।

3. जिन पदों के लिए सेवा भती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताऐं धारण करने के उपरान्त ''छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल कौंसिल में जीवित पंजीयन'' होना वांछनीय है।

4. छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदक को अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा तथा दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. आवेदक उल्लेखित विज्ञापित पदों के लिए अलग–अलग आवेदन करेगें। परंतु एक ही आवेदन में एक से अधिक पदों पर आवेदन किया जाता है तो आवेदन स्वमेव निरस्त किए जावेगें। ऐसे निरस्त किए जाने वाले आवेदन की सूचना आवेदक को पृथक से नहीं दी जावेगी।

6. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन (सी) 592/2012 रिट पिटीशन (सी) 593/2012 या रिट पिटीशन (सी) 594/2012 में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तयों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

7. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होगें, जो कम से कम 40 प्रतिशत् संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते है, उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. आरक्षित दिव्यांग श्रेणी अंतर्गत् केवल OL(एक पैर),एवं OA(एक हाथ) दिव्यांग उम्मीदवार ही पात्र होंगे।

9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पदों का निर्धारण जिले में शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा तथा दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांग आवेदकों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवार होने संबंधित सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रुप से संलग्न करना होगा तथा दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो वह चयन हेतु पात्र नही होगें। उक्त संबंध में आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानो में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

13. उक्त पदों हेतु प्रवर्गवार 50 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी । जिसकी वैद्यता मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 एक वर्ष तक रहेगी ।

14. **(अ)भर्ती नियम 2013 एवं संशोधित नियम 2020 में विहित तकनीकीय/शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची केआधार पर प्रावीण्यता सूची तैयार करने हेतु अंको का निर्धारण :–**

(i) छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2022 के द्वारा तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11.06.2020) के नियम–6 के उप नियम 5 में प्रावधानित शैक्षणिक योग्यता अनुभव के अंक जोड़कर (शैक्षणिक योग्यता हेतु अंक 85 तथा अनुभव हेतु अधिकतम 15 अंक कुल 100 अंक) मेरिट लिस्ट के आधार पर निर्धारित आरक्षण रोस्टर अनुसार चयन हेतु सहमति प्रदान की गई है।

विभागीय सेवा भर्ती नियम में प्रावधान अनुसार जिला स्तरीय गठित चयन समीति की अनुशंसा के आधार पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधीन शासकीय स्वास्थ्य संस्थओं में कार्यरत. कर्मचारियों को उनके सेवा अनुभव के अनुरुप प्रतिपूर्ण वर्ष के 03 अंक के मान से पॉच वर्ष का सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 15 अंक का लाभ दिया जावेगा ***(01 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 02 वर्ष के कम – 03 अंक, 02 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 03 वर्ष से कम – 06 अंक, 03 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 04 वर्ष से कम – 09, 04 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 05 वर्ष से कम – 12 अंक एवं 05 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 06 वर्ष के कम – 15 अंक)।***

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के आदेश पृ.क. एफ 1/67/2021/सत्रह/एक दिनांक 07.12.2021 अनुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त न्यूनतम 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मीयो को विभाग के तृतीय एवं श्रेणी के पदो पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया गया है। इस आदेश के अनुपालन में 10 बोनस अंक की पात्रता होगी। इस संबंध में सक्षम अधिकारी (सी.एम. एच.ओ.) द्वारा जारी 06 माह की निरन्तर सेवा अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अतः इस प्रकार ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरूष) एवं ड्रेसर ग्रेड–01 के क्रमशः एम.पी.डब्ल्यू. प्रशिक्षण उत्तीर्ण अंकसूची में प्राप्तांक अंक का 85 प्रतिशत एवं आर्थोपैडिक–कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण अंकसूची में प्राप्तांक अंक का 85 प्रतिशत अंक तथा अनुभव का 15 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 03 अंक) तथा शासन द्वारा कोरोना

वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त न्यूनतम 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मीयो को 10 बोनस अंक जैसी भी स्थिति हो जोड़कर प्रावीणय सूची तैयार की जावेगी, इस प्रकार तैयार प्राविण्य सूची से ही उम्मीदवारों का प्रवर्गवार चयन किया जावेगा।

(iii) ड्रेसर ग्रेड–02 के शैक्षणिक योग्यता 10 वी उत्तीर्ण का 85 प्रतिशत अंक एवं अनुभव का अनुभव का 15 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 03 अंक) तथा शासन द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त न्यूनतम 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मीयो को 10 बोनस अंक जैसी भी स्थिति हो जोड़कर प्रावीणय सूची तैयार की जावेगी, इस प्रकार तैयार प्राविण्य सूची से ही उम्मीदवारों का प्रवर्गवार चयन किया जावेगा।

14.(ब) उल्लेखानुसार प्रावीण्यता/चयन सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी अर्थात् जिस अभ्यार्थी की जन्मतिथि पहले होगी ,उसके अनुसार वरीयता में उच्च कम पर रखा जावेगा।

15. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति होगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 29.07.2020 के साथ संलग्न राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना कमांक एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 28.07.2020 के तहत "किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परिविक्षा पर रखा जावेगा" एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश इन नियुक्तियों पर पूर्णरूपेण लागू होगें।

16. 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान चयनित अभ्यार्थियों/शासकीय सेवक को वित्त निर्देश 21/2020 अनुसार स्टायपेण्ड देय होगा। संशोधित छ.ग. मूलभूत नियम–22 सी (1) अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष कमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70%, 80%एवं 90%राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा।

17. अभ्यार्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य/गलत पाई जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के आवेदक की चयन हेतु दावेदारी आमान्य करते हुए संबंधित के नियमानुसार विरुद्ध वेधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

18. आवेदक का चयन होने पर पुलिस सत्यापन में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल टीका पाऐं जाने की स्थिति में बिना कारण बताऐं चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेंगी ।

19. 19.1 भर्ती के संबंध में आगामी सूचना, निर्देश, आदेश, पात्र–अपात्र सूची, मेरिट सूची तथा भर्ती संबंधी अन्य समस्त जानकारियॉ **कार्यालय के सूचना पटल** के माध्यम से दी जावेगी। इस संबंध में पृथक से आवेदक से कोई पत्राचार नही किया जावेगा।

20. उपरोक्त पदों पर केवल शासकीय रजिस्टर डाक/स्पीड पोस्ट आवेदन मान्य/स्वीकार किये जायेंगे।

21. आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता/शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन करें। आवेदक द्वारा विज्ञापित पदों हेतु चाही गई जानकारी सावधानीपूर्वक एवं ध्यान पूर्वक भरा जावे तथा चाहे गये दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करें। **आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।**

22. **अनर्हताएंः– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम–6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–**

22.1 कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी। परंतु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट होगी सकेगा।

23. **निर्वचन** :—इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्ते महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला—रायपुर (छ.ग.)
30.3.22

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्व हस्ताक्षरित फोटो

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–रायपुर (छ.ग.)।

आवेदित पद का नाम : ....

आवेदित पद वर्ग में सहीं (√) का निशान लगावें : अनारक्षित ☐ अ.ज.जा. ☐
अ.जा. ☐ अ.पि.व. ☐

1. आवेदक का नाम : ....
2. लिंग (पुरूष/महिला) : ....
3. पिता/पति का नाम : ....
4. वर्तमान डाक का पता जिस पर :– ....
   पत्र व्यवहार किया जावेगा ....
5. स्थाई पता :– ....
   ....
6. जन्म तिथि :– दिन .... माह .... वर्ष ....
7. उम्र (01.01.2022) की स्थिति में :– ....
8. रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक:– क्रमांक .... दिनांक ....
9. रोजगार कार्यालय का नाम:– :– ....
10. क्या आप विवाहित है :– ....
    (ऐसे पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगा/होगी।)
11. जीवित बच्चों की संख्या :– ....
12. आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है:– ....
13. (यदि हां तो कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करे):– ....
14. जाति का विवरण सामान्य/अ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.व.:– ....
    (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
15. छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र:– ....

16. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता का विवरणः– ....

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	श्रेणी	प्राप्तांको का प्रतिशत

17. संलग्न (सत्यापित प्रमाण पत्र की सूची विवरण सहित)

1 .... 2 ....

3 .... 4 ....

5 .... 6 ....

7 .... 8 ....

<u>घोषणा</u>

मै प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर वर्णित जानकारी पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी चयन के किसी भी स्तर में असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरा/मेरी चयन निरस्त करने का अधिकार चयन समिति का होगा जो मुझे मान्य होगा/होगी।

दिनांक ....

स्थान ....

....

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

(पूरा नाम ....)